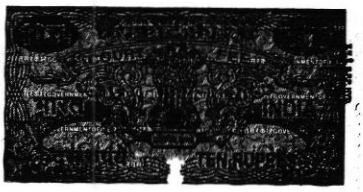

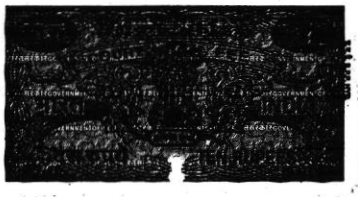

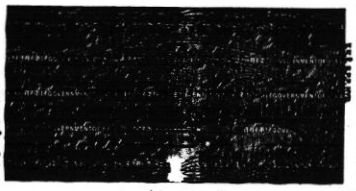

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–कटनी

I/निगरानी/कटनी/भू.रा/2018/0806

ओजस्वी मार्बल एण्ड ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिनिधी श्री सुमित अग्रवाल, निवासी – आनन्द बिहार कालौनी मदन मोहन चौबे वार्ड कटनी (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी म.प्र.

2– सुखचेन पुत्र कल्लू चौधरी निवासी – स्लीमनाबाद, तहसील बहोरी बंद जिला – कटनी (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, विवादित भूमि ग्राम हरदुआ तहसील बहोरीबंद पटवारी हल्का नं. 61 खसरा नं. 123 रकवा 0.40 है0 स्थित है, उक्त भूमि के भूमि स्वामी सुखचेन पिता कल्लू चौधरी थे, उनके द्वारा उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र पत्र दिनांक 17.06.2010 को आवेदक के हित में विधिवत् रूप से सम्पादित किया है तब से आवेदक का उक्त भूमि पर निरंतर कब्जा चला आ रहा है।

2. यहकि, जब आवेदक द्वारा भूमि क्रय की गयी थीं उस समय विक्रेता सुखचैन का नाम राजस्व अभिलेखो में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था। तथा भूमि राजस्व अभिलेखो में अहस्तातंरणीय व पट्टे की भूमि का कोई उल्लेख नहीं था। आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने के पश्चात् नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद जिला कटनी द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 12.12.2015 पारित किया था।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/कटनी/भू0रा0/2018/0806

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । प्रकरण् एवं आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2 को ग्राम हरदुआ तहसील बहोरीबंद स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0 123 रकबा 0य480 हैक्टर का पट्टा दिनांक 26-6-02 को दिया गया था जिसका विक्रय उसके द्वारा दिनांक 17-6-2010 को आवेदक को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है । संहिता की धारा 165 (7ख) के अनुसार शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्वअनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता है । माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 250 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 158(3) तथा 165 (7ख) - धारा 158(3) के अधीन भूमि का अंतरण-धारा 165 (7ख) के उपबंधों के अध्यधीन है अर्थात कलेक्टर की अनुज्ञा आज्ञापक है । यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है वह विधिसम्मत है, और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामत: यह निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	